भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 460

दिनांक 04 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों में कदाचार

460. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के कर्मचारी और उच्च अधिकारी वित्तीय गबन में शामिल है; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा तय किया गया खान-पान, पौष्टिक आहार बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार प्रणाली में सुधार लाने और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करवाने के लिए उच्च स्तरीय जांच करवाएगी?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : जी, हां। 30 सितम्बर, 2020 को देशभर में 13,86,990 आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) कार्यशील हैं।

(ग) और (घ) : अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं देशभर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। भारत सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए समग्र नीति तैयार करके और कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करती है। जबकि ज़मीनी स्तर पर स्कीम का प्रबंधन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है।

पोषण इनपुट्स की आवश्यक जांच, सेवाप्रदायगी की निगरानी और कार्यक्रम के समग्र गवर्नेंस में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पूरक पोषण की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार हो।

*****